न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 39 / 2023

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 शैतानराम 2 हरिराम 3 ओगडराम पुत्र पेमाराम जातियान 4 देवासी निवासीगण बासनी भदावता तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. लादाराम पुत्र पेमाराम जाति देवासी बासनी भदावता तहसील जिला पाली राज0 2. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री नवनीत गहलोत एडवोकेट।
2. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

–: निर्णय :– दिनांक 20/3/24

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि मौजा ग्राम बासनी भदावता तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा, कब्जा सुदा कृषि भूमि निम्न खसरा नम्बर 80 रकबा 1.3800 हैक्टर बारानी दोयम आई हुई स्थित है। उक्त खसरा जात में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के अनुसार प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा आता है। मौके पर बटवाडा पक्षकारों के ध्यम पेमाराम के जीवनकाल में हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 01 की नियम बद्ध हो चुकी है। प्रार्थीगण का हक हिस्सा हडपना चाहते है। इस नियम से मौके पर मेडबन्दी व पाला तोडकर फसल को नुकसान पहुंचाते है जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा हमेशा की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दिनांक 27.01.2023 को बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया जिसका अप्रार्थीगण ने मना कर दिया। प्राथीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है ऐसा करने में वे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावद्ध कर मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति कायम रखने हेतु आदेशित किया जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल पेश सा0मि0 हो। अप्रार्थीगण 01 बाववुद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही. की जाती है। अप्रार्थीगण

संख्या 02 जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जवाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदानर सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्राथी रेकर्डडेड खातेदार है। अप्राथीगण उसकी खातेदारी कब्जे काश्क की कृषि भूमि में अनावश्यक दखल अन्दाजी करता है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण संख्या 02 दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि का सीमा संबंधी विवाद है। जिसे मूल वाद में जबाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर तनकी कायम कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में सयुक्त कब्जे की पुश्तैनी कृषि भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 ...को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)